"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 दिसम्बर, 2003—पौष 5, शक 1925

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं सूरजसिंह कुशवाह, प्लाटून कमान्डर, 3री बटालियन एस. ए. एफ. रायपुर, अब मैं अपना नाम-परिवर्तन कर सूरतसिंह कुशवाह, प्लाटून कमान्डर, 3री बटालियन, एस. ए. एफ. रायपुर कर रहा हूं तथा इस आशय का शपथ-पत्र भी दे दिया गया है. अतः भविष्य में मुझे सूरतसिंह कुशवाह के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
सूरजसिंह कुशवाह
प्लाटून कमान्डर
3री बटालियन, एस. ए. एफ.
रायपुर (छ. ग.)

नया नाम
सूरतसिंह कुशवाह
प्लाटून कमान्डर
3री बटालियन, एस. ए. एफ.
रायपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं श्रीमती अर्चना राणा मेरी शैक्षणिक योग्यता संबंधी अभिलेखों में कु. अर्चना राणा लिखा गया है. अब मैं अपने विवाह उपरांत अपना उपनाम परिवर्तन कर श्रीमती अर्चना राणा सेठ कर रही हूं तथा इस आशय का शपथ-पत्र भी दे दिया गया है. अत: भविष्य में मुझे श्रीमती अर्चना राणा सेठ के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
कु. अर्चना राणा	श्रीमती अर्चना राणा सेठ
पिता श्री कल्याण सिंह राणा	पति श्री प्रज्ञान कुमार सेठ
उप-संचालक	उप-संचालक
संचालनालय महिला एवं बाल विकास	संचालनालय महिला एवं बाल विकास
छत्तीसगढ़, रायपुर.	छत्तीसगढ़, रायपुर.

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं बलराम सिंह चमार मेरे शैक्षणिक योग्यता में बलराम सिंह चमार लिखा गया है. अब मैं अपना उपनाम परिवर्तन कर बलराम सिंह चौधरी कर रहा हूं तथा इस आशय का शपथ-पत्र भी दे दिया गया है. अत: भविष्य में मुझे बलराम सिंह चौधरी के नाम से जाना व पहचाना जावें.

पुराना नाम	नया नाम
बलराम सिंह चमार	बलराम सिंह चौधरी
पिता श्री अन्नीलाल चमार	पिता श्री अन्नीलाल चौधरी
C/o. ग्लोरियस स्कूल के सामने	C/o. ग्लोरियस स्कूल के सामने
कृष्णा नगर	कृष्णा नगर
रायपुर (छ. ग.)	रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं राम खिलावन चेलक आ. स्व. श्री भैय्याराम चेलक लाइन सहायक श्रेणी-2 छ. ग. राज्य विद्युत केन्द्र, भिलाई (शहर) तह. जिला दुर्ग वर्तमान निवास ग्राम नेवई तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) अब मैं अपना नाम परिवर्तन कर खिलावन सिंह चेलक कर रहा हूं तथा इस आशय का शपथ-पत्र भी दे दिया गया है. अत: भविष्य में मुझे खिलावन सिंह चेलक के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
राम खिलावन चेलक	खिलावन सिंह चेलक
आ. स्व. श्री भैय्याराम चेलक	आ. स्व. श्री भैय्याराम चेलक
लाइन सहायक श्रेणी-2	लाइन सहायक श्रेणी-2
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत केन्द्र, भिलाई (शहर)	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत केन्द्र, भिलाई (शहर)
तह. व जिला-दुर्ग	तह. व जिला-दुर्ग
वर्तमान निवास ग्राम नेवई	वर्तमान निवास ग्राम नेवई
तह. जिला दुर्ग (छ. ग.)	तह. जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं तुलसीराम मंडावी ब्लाक नं. 7/L,सड़क नं. 30, सेक्टर 6 भिलाई, जिला-दुर्ग (छ. ग.) अब मैं अपना नाम परिवर्तन कर तुलसी ठाकुर, ब्लाक नं. 7/L,सड़क नं. 30, सेक्टर 6 भिलाई, जिला दुर्ग (छ. ग.) कर रहा हूं तथा इस आशय का शपथ-पत्र भी दे दिया गया है. अतः भविष्य में मुझे तुलसी ठाकुर के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
तुलसी राम मंडावी
ब्लाक नं. 7/L
सड़क नं. 30
सेक्टर 6 भिलाई
जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम
तुलसी ठाकुर
ब्लाक नं. 7/L
सड़क नं. 30
सेक्टर 6 भिलाई
जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार आफ पब्लिक ट्रस्ट, डोंगरगढ़, छ. ग.

डोंगरगढ़, दिनांक 22 सितम्बर 2003

प्ररूप-4
[नियम 5 (1) देखिए]
[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 (1) के अंतर्गत]

क्रमांक 852/प्र.-1/03/2 ब/113 (1).—चूंकि आवेदक श्री चुरामनलाल सोनी अध्यक्ष, मां कारीपाठ मंदिर ट्रस्ट समिति मक्काटोला, तहसील डोंगरगढ़ ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अधीन नीचे अनुसूची में दर्शायी गई सम्पत्ति एवं लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अतः एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 6-8-2003 को विचार हेतु नियत किया गया है. कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो उसे इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं या अभिभाषक या अभिकर्त्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/सुझावों को विचार के लिये ग्राह्य नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

1. लोक न्यास का नाम - मां कारीपाठ मंदिर ट्रस्ट समिति मक्काटोला, तहसील-डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव (छ. ग.).

2. सम्पत्ति - अचल सम्पत्ति के रूप में मक्काटोला पहाड़ी पर निर्मित मंदिर और ज्योति कक्ष, नीचे महमाई मंदिर, मोहनलाल जंघेल द्वारा निर्मित दुर्गा मंदिर व मूलचंद बैगा द्वारा निर्मित मंदिर है. तथा चल सम्पत्ति के रूप में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव शाखा लालबहादुर नगर में जमा 13,911.55 रु. है.

एस. पी. नवरतन,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, दुर्ग (छ. ग.)

दुर्ग, दिनांक 5 नवम्बर 2003

प्ररूप-चार
[नियम 5 (1) देखिए]
[छ. ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और छ. ग. लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 1597/प्र./अ वि अं./03.—चूंकि भगवान बिहारी लाल मंदिर ट्रस्ट को छ. ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन हेतु आवेदक मुरली मनोहर तिवारी साकिन मठपारा, दुर्ग ने आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदक मेरे न्यायालय में दिनांक 8-12-2003 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखता हो तो उसे सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, दुर्ग एवं पंजीयक लोक न्यास अनुविभाग दुर्ग) अपने न्यायालय में दिनांक 8-12-2003 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकते हैं और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को स्वत: या अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होकर अपना आपत्ति/दावा पेश कर सकते हैं. निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम	–	भगवान बिहारी लाल मंदिर ट्रस्ट मठपारा, दुर्ग.
2.	लोक न्यास की संपत्ति	–	5000/- रुपये

पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.